

उर्द शहरकाय

श्रीम श्रीमन्त उपखण्ड अधिकारी सिकरग (दौसा)

२ मध्याह्निक भोजन बन्द्याम राजत सरकार

किष्क मुकदमा नम्बर

मु०न० १५५/२३

नारीय हठ

पत्रावली एक हद न्यायका काम करय
क्याण्ड/PO या राज्य का है कानून
होने का लोके न कानून का है केली
क्या ही मुझे पत्रावली दिनीक
नो पत्र ही है

०१/०१/१५ पत्रावली पेटन करीत जारी कनु, पत्रावली
के पत्रकी हेतु बार बार खुली न्यायक
के कायान्त बाररि गरि लैनिन कोरि
हाथि नसी काया अल. पत्रावली कदम
पैरनी कदम मनिरी के खारिज की
जारी है

उपखण्ड अधिकारी
सिकरग जिला दौसा